1

प्रेस–नोट

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 जैसी निवेशक–अनुकूल नीति और कई प्रगतिशील उप–क्षेत्रीय नीतियों की सफलता ने राज्य के औद्योगिक वातावरण को बदल दिया है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के माध्यम से प्रदान किए गए व्यापक समर्थन और सावधानीपूर्वक विचार–विमर्श एवं विश्लेषण के बाद, बिहार सरकार द्वारा "**बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज (BIIPP), 2025**" लागू करने का निर्णय लिया गया है।

इसके तहत विकल्प के अनुसार ब्याज अनुदान अथवा अनुमोदित परियोजना लागत का 300% तक शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति अथवा अनुमोदित परियोजना का 20% से 30% तक पूंजीगत सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। अन्य लागू प्रोत्साहनों में रियायती दर पर भूमि एवं अन्य प्रोत्साहन लाभ देय होंगे।

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

2

प्रेस नोट

भोजपुर (आरा) जिला अन्तर्गत अंचल– तरारी के मौजा–मानिकपुर थाना संख्या–174, रकबा– 56.02 एकड़ मौजा–पटखौली, थाना संख्या–173, रकबा– 15.48 एकड़, मौजा--बसौरी, थाना नं0– 175, रकबा– 71.53 एकड़, मौजा–बेलडिहरी, थाना नं0–110, रकबा-- 9.98 एकड़ एवं मौजा–रन्नी, थाना नं0– 172, रकबा– 96.47 अर्थात कुल समेकित रकबा– 249. 48 एकड भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि रु0 52,62,22,910/– (रुपये बावन करोड़ बासठ लाख बाईस हजार नौ सौ दस) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार से भोजपुर (आरा) जिला में विभिन्न प्रक्षेत्रों में निवेश एवं रोजगार के अवसर बढेंगें तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होंगी।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

(3)

प्रेस नोट

शेखपुरा जिला अन्तर्गत अंचल – चेवड़ा अंतर्गत मौजा– हंसापुर, थाना नं0– 07 एवं मौजा– अस्थावाँ, थाना नं0–04 में कुल रकबा 250.06 भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि 42,16,30,233.00 (रुपये बियालिस करोड़ सोलह लाख तीस हजार दो सौ तैंतीस) मात्र के व्यय के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार से शेखपुरा जिला में विभिन्न प्रक्षेत्रों में निवेश एवं रोजगार के अवसर बढेंगें तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होंगी।

(मिहिर कुमार सिंह)
~~अपर मुख्य सचिव~~
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

(4)

प्रेस नोट

रोहतास जिला अन्तर्गत अंचल– शिवसागर के मौजा–तारडीह, थाना नं0– 574 में कुल रकबा– 492.85 एकड़ भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि 1,54,07,12,370.00 (रुपये एक अरब चौबन करोड़ सात लाख बारह हजार तीन सौ सत्तर) मात्र के व्यय के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार से रोहतास जिला में विभिन्न प्रक्षेत्रों में निवेश एवं रोजगार के अवसर बढ़ेंगें तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होंगी।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

प्रेस नोट

शिवहर जिला अन्तर्गत अंचल–तरियानी, मौजा – सलेमपुर थाना नं0– 06, रकबा– 147.43 एकड़ एवं मौजा – बेलाही दुल्लाह, थाना– 141 रकबा– 122.58 अर्थात समेकित कुल रकबा 270.01 एकड़ भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि 1,05,27,12,000/– (रुपये एक अरब पांच करोड़ सताईस लाख बारह हजार) मात्र के व्यय के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार से शिवहर जिला में विभिन्न प्रक्षेत्रों में निवेश एवं रोजगार के अवसर बढ़ेंगें तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होंगी।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

6

प्रेस नोट

दरभंगा जिला अन्तर्गत अंचल – बहादुरपुर, मौजा – तारालाही, थाना नं0–251 एवं मौजा– मोतनाजा तारालाही थाना– 252 से कुल रकबा– 361.38 एकड़ एवं अंचल – हनुमाननगर, मौजा– बिहारी मुकुन्द, थाना नं0–221 एवं मौजा– अम्माडीह, थाना नं0 – 220 से कुल रकबा– 24.07 एकड़ अर्थात् समेकित कुल रकबा– 385.45 एकड़ भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि 3,76,07,79,329.00 (रुपये तीन अरब छिहतर करोड़ सात लाख उनासी हजार तीन सौ उनतीस) मात्र के व्यय के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार से दरभंगा जिला में विभिन्न प्रक्षेत्रों में निवेश एवं रोजगार के अवसर बढेंगें तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होंगी।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

प्रेस नोट

पटना –पूर्णिया एक्सप्रेसवे के समीप पूर्णिया जिला अन्तर्गत अंचल– के0नगर के मौजा–बिठनौली खेमचंद, थाना नं0– 24 में रकबा– 119.55 एकड़, मौजा–गणेशपुर, थाना नं0–36 में रकबा– 152.40 एकड़ एवं मौजा– डरवे चकला, थाना नं0– 29 रकबा 7.70 एकड़ अर्थात कुल समेकित रकबा– 279.65 एकड़ भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि रु0 66,91,91,318.00 (रुपये छियासठ करोड़ इकानावें लाख इकानवें हजार तीन सौ अठारह) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार से पूर्णिया जिला में विभिन्न प्रक्षेत्रों में निवेश एवं रोजगार के अवसर बढेंगें तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होंगी।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

(8) (92)

प्रेस नोट

पटना जिला अन्तर्गत अंचल–फतुहाँ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (MMLP) परियोजना से सटे भू–भाग में GIFT- सामान औद्योगिक परियोजना के अधीन Fin Tech City विकसित करने हेतु मौजा–जैतीया, थाना नं0–79 में कुल रकबा 242 एकड़ भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि 4,08,81,30,503.00 (चार सौ आठ करोड़ इक्यासी लाख तीस हजार पाँच सौ तीन) रुपये मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण से राज्य में वित्तीय सेवाओं नवाचार आधारित उद्यमों, उन्नत तकनीक तथा निर्यात–उन्मुख उद्योगों को एक ही परिसर में समावेशित कर एक प्रतिस्पर्धी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जायेगा, इससे राज्य में लॉजिस्टक्स प्रक्षेत्रों में निवेश तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

9

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग
प्रेस नोट

बिहार राज्य जल विद्युत निगम के अंतर्गत 12 निर्माणाधीन परियोजनाओं में से 09 परियोजनाओं (तेजपुरा, डेहरा, सिपहा, वलिदाद, पहरमा, मथौली, राजापुर, अमेठी एवं डेहरी स्केप) के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 166.81 करोड़ (एक सौ छियासठ करोड़ इक्यासी लाख) रूपये की स्वीकृति एवं शेष 03 परियोजनाओं (बरबल, रामपुर एवं नटवार) को बन्द करने की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में बिहार राज्य जल विद्युत निगम के अंतर्गत 12 निर्माणाधीन परियोजनाओं में से 09 परियोजनाओं (तेजपुरा, डेहरा, सिपहा, वलिदाद, पहरमा, मथौली, राजापुर, अमेठी एवं डेहरी स्केप) के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 166.81 करोड़ (एक सौ छियासठ करोड़ इक्यासी लाख) रूपये की स्वीकृति एवं शेष 03 परियोजनाओं (बरबल, रामपुर एवं नटवार) को बन्द करने की स्वीकृति के प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमोदित की गयी है।

(मनोज कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

10

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
प्रेस नोट

पटना मुख्य नहर के 62.60 कि०मी० पर एक पुल निर्मित है, जिससे राष्ट्रीय राज्य मार्ग 139 गुजरती है, जो पटना शहर को दक्षिण बिहार के महत्वपूर्ण जिलों यथा अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर एवं रोहतास से जोड़ती है। वर्त्तमान में अरवल शहर के शहरीकरण एवं व्यवसायीक उत्थान से अरवल एवं इसके आस–पास के क्षेत्रों से अत्यधिक मात्रा में लोगों के आवागमण में बढ़ोतरी हुई है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय राज्य मार्ग 139 जो अरवल एवं पटना को जोड़ती है, में अत्यधिक मात्रा में जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् अरवल जिला के कलेर एवं अरवल अंचल में लगभग 8.70 लाख, औरंगाबाद जिला के गोह, हसपुरा एवं दाउदनगर अंचल में लगभग 5.80 लाख, भोजपुरा जिला के सहार, अगियाँव, तरारी, पीरो एवं संदेश अंचल के लगभग 10.00 लाख, रोहतास जिला के नासरीगंज एवं काराकाट अंचल में 3.70 लाख एवं पटना जिला के पालीगंज एवं दुल्हिन बाजार अंचल में लगभग 4.60 लाख मिलाकर कुल लगभग 32.86 लाख लोगों को यातायात एवं जाम की स्थिति से प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य जिलों से आवागमन करने वाले पर्यटकों को भी अप्रत्यक्ष लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही जाम की समस्या के कारण इस मार्ग से आवागमण करने वाले यात्रियों के समय में काफी बचत होगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन से पटना नहर के बायें बांध–सह–सोन सुरक्षा तटबंध का मजबुतीकरण हो जायेगा।

योजना की प्राक्कलित राशि 10000.00 लाख रूपये (एक सौ करोड़ रूपये) है। इसे फरवरी, 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग

(11)

पथ निर्माण विभाग

प्रेस नोट

पथ प्रमंडल बेनीपुर अंतर्गत कुशेश्वर स्थान (एस.एच–56) से फुलतोड़ाघाट पथ के कि0मी0 0.00 से 20.80 तक (कुल लंबाई 20.80 कि०मी०) में मिट्टी कार्य, सीमेन्ट कंक्रीट पथ कार्य, आर०सी०सी० उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य, क्रॉस ड्रेन कार्य, ड्रेन निर्माण कार्य, डायवर्सन निर्माण कार्य, बचाव कार्य, रिटेनिंग वाल निर्माण कार्य, कम्पेन्सेटरी एफोरेटेशन कार्य, युटिलिटी शिफ्टिंग कार्य, भू–अर्जन कार्य, विविध कार्य एवं पथ फर्निचर कार्य सहित उन्नयन/निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत्यादेश संख्या 7025(एस.)डब्लु.ई., दिनांक 11.09.2018 से प्रदत्त मूल प्रशासनिक स्वीकृत राशि ₹24304.42 लाख का पुनरीक्षित राशि ₹38122.67 लाख (तीन सौ इक्कासी करोड़ बाईस लाख सड़सठ हजार) का प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित योजना की कुल लंबाई 20.80 कि०मी० है। इसके प्रस्तावित कैरेज वे की चौड़ाई 5.5मी० से बढ़ाकर 7.00 मी० किया गया है।

विषयांकित योजना के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध हो रहा है।

(संदीप कुमार आर०पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

बाँका जिलान्तर्गत अंचल–कटोरिया, मौजा–कल्होड़िया, थाना सं0–201/40, खाता सं0–01, खेसरा सं0–05 की कुल प्रस्तावित रकबा–51.40 एकड़ गैरमजरूआ मालिक किस्म–परती कदीम भूमि पर सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय (सी0टी0एस0) के निर्माण हेतु गृह विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क स्थायी अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– (दीपक कुमार सिंह)
पदनाम :– अपर मुख्य सचिव

(34)

(13)

बिहार सरकार
विधि विभाग

मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु संलेख के निमित्त आत्मभरित टिप्पणी सहित प्रेस नोट।

भवन निर्माण विभाग से समस्तीपुर न्यायमंडल अन्तर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, रोसड़ा में 15 कोर्ट भवन (G+4), एमिनिटी भवन (G+4) एवं हाजत भवन (G+1) के निर्माण कार्य हेतु रु0–39,50,31,000/–(उनचालीस करोड़ पचास लाख इकतीस हजार रुपये) का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति के साथ प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है जिसमें लोक वित्त समिति द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति की सहमति प्रदान की गई है।

यह केन्द्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के निर्माण कार्य पर व्यय केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत संबंधित बजट शीर्ष में उपबंधित राशि से होगा।

अतः समस्तीपुर न्यायमंडल अन्तर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, रोसड़ा में 15 कोर्ट भवन (G+4), एमिनिटी भवन (G+4) एवं हाजत भवन (G+1) के निर्माण कार्य हेतु रु0–39,50,31,000/–(उनचालीस करोड़ पचास लाख इकतीस हजार रुपये) की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव है।

21.08.2015

(अंजनी कुमार सिंह)
सरकार के सचिव, बिहार।

(14)

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस–नोट

महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–68300 दिनांक 19.08.2025 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री आनन्द अभिषेक, परीक्ष्यमान असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), शेखपुरा के अशोभनीय व्यवहार के फलस्वरूप न्यायिक पदाधिकारी के रूप में उनकी सेवा अनुपयुक्त होने एवं सेवा में निरंतरता नहीं बनाये रखने हेतु बिहार न्यायिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2020 के नियम–11, के स्पष्टीकरण (1)(vii) के आलोक में सेवा से विमुक्त (Discharge from service) किये जाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।

(डॉ॰ बी॰ राजेन्दर)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

G:\SEC-07\DISMISS\PRESS NOTE.docx

15

श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

<u>प्रेस नोट</u>

राज्य में बाल श्रम उन्मूलन, विमुक्ति एवं पुनर्वास हेतु गठित राज्य कार्य योजना वर्ष 2009 में अधिसूचित किया गया था, जिसे वर्ष 2017 में पुनर्वर्द्धित करते हुए में बाल श्रम उन्मूलन तथा किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन हेतु राज्य कार्य योजना, 2017 को लागू किया गया।

उक्त राज्य कार्य योजना में बाल श्रम उन्मूलन एवं बाल श्रमिकों की विमुक्ति एवं पुनर्वास में विभिन्न विभागों के दायित्वों को उल्लेखित किया गया, जो अभिसरण के सिद्धान्त पर गठित था। बाल श्रम उन्मूलन तथा किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन हेतु राज्य कार्य योजना, 2017 की अपेक्षओं के अनुरूप संबंधित विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन, विमुक्ति एवं पुनर्वास के कार्य हेतु अग्रसर हुए थे।

बाल श्रम पर प्रहार हेतु पंचायत स्तर से ही विभिन्न विभागों का अभिसरण आवश्यक है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के दायित्वों को और अधिक विस्तारित किया जाना आवश्यक था। श्रम उन्मूलन तथा किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन हेतु विभिन्न विभागों के लिए निर्धारित दायित्वों एवं अन्य विभागों एवं प्राधिकारों के क्षेत्राधिकार समाहित होने के कारण राज्य कार्य योजना के स्थान पर एक रणनीति बनाये जाने की आवश्यकता महसूस की गई। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 को लागू किये जाने तथा राज्य सरकार द्वारा बिहार बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) नियमावली, 2024 के लागू किये जाने के पश्चात् राज्य कार्य योजना को पुनवर्द्धित किया जाना अपरिहार्य था।

तदनुसार बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन के लिए राज्य रणनीतिं एवं कार्य योजना, 2025 का सूत्रण किया गया। राज्य रणनीति एवं कार्य योजना, 2025 में पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए अलग से कार्य चिन्हित किये गये हैं। साथ ही विधि विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए भी अलग से प्रावधान किया गया है। राज्य रणनीति एवं कार्य योजना, 2025 में परिवहन विभाग को भी समाहित किया गया है।

राज्य रणनीति एवं कार्य योजना, 2025 में भारतीय रेलवे एवं शस्त्र सीमा बल को भी समाहित किया गया है एवं इन प्राधिकारों के लिए विस्तृत कार्य निर्धारित किये गये हैं।

राज्य कार्य योजना के नए रूप में सूत्रण एवं लागू किये जाने से बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वास जैसे गंभीर मामले में राज्य सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई को मजबूती मिलेगी एवं बिहार राज्य को बाल श्रम मुक्त बनाने का संकल्प पूरा हो सकेगा।

(दीपक आनन्द)
सरकार के सचिव

सं0सं0– 1 / विविध–36 / 2024–

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान–सम्प्रति भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा के निर्माण योजना कार्य के संवेदक को Sole Arbitrator द्वारा पारित Award के आलोक में एकमुश्त 150 करोड़ रुपये के भुगतान हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा प्राप्त अनुरोध के आधार पर रुपये 150 करोड़ के प्रावधान सहित कुल रू० 7,46,64,00,000 / – (रूपये सात अरब छियालीस करोड़ चौसठ लाख) मात्र की लागत पर योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

5.8.25

अपर सचिव

(17)

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

प्रेस नोट

राज्य के दिव्यांग युवा एवं युवतियों को स्वरोजगार/उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तर्ज पर समाज कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल) के अंतर्गत "मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना" प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(बन्दना प्रेयषी)
सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

18

बिहार सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग
(वायुयान संगठन निदेशालय)

प्रेस नोट

बिहार में नये अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्कता बढ़ाने के लिए नीति की स्वीकृति के संबंध में।

जयप्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना और गया अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गया से नई अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्कता बढ़ाने हेतु भारतीय विमानन कम्पनियों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि (VGF) के तहत मौद्रिक सहायता प्रदान करने के लिए '**नये अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्कता बढ़ाने की नीति**' है।

यह नीति, जयप्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना और गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गया की भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाते हुए, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में बिहार की भागीदारी को सशक्त बनाएगी। यह पहल निवेशकों को बिहार में विमानन प्रक्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशने के लिए प्रेरित करेगी।

इससे हवाई मार्गों का विस्तार होगा, जिससे औद्योगिक और सहायक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, जो राज्य की रोजगार वृद्धि में सहायक सिद्ध होंगे। बेहतर हवाई संपर्कता बिहार को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए अधिक सुलभ बनाएगा, जिससे पर्यटन उद्योग को बल मिलेगा।

(अखिलेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

19

प्रेस नोट

विषय :– ERSS मिरर साईट कमांड एवं कंट्रोल सेंटर, गया के संचालन हेतु आवश्यक 132 पदों के सृजन की स्वीकृति।

(प्रणव कुमार) 22/8/20
सरकार के सचिव
गृह विभाग, बिहार, पटना

बिहार सरकार

कृषि विभाग।

प्रेस नोट

राज्य स्कीम मद से किसान सलाहकार योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 से किसान सलाहकारों के मानदेय को 13,000/– से बढाकर 21,000/– रूपये प्रतिमाह भुगतान करने हेतु अतिरिक्त कुल 6787.10736 लाख (सड़सठ करोड़ सतासी लाख दस हजार सात सौ छत्तीस) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त मानदेय की बढ़ी हुई दर दिनांक–01.04.2025 के प्रभाव से लागू होगी। योजना अंतर्गत किसान सलाहकारों का कुल कार्यरत बल 7047 के लिये मानदेय 13000/– रूपये से बढ़ाकर 21000/– रूपये करने के साथ किसान सलाहकार परामर्श अवधि 06 घंटे से बढाकर 07 घंटे किया गया है।

कृषि विभाग द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसान सलाहकार की भूमिका महत्वपर्ण है। पंचायत स्तर पर कार्यरत पंचायत कृषि कार्यालय में भी इनके द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। किसान सलाहकार के द्वारा कृषि प्रसार से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है।

(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

प्रेस नोट

(21)

वैशाली जिलान्तर्गत वैशाली में एक पाँच सितारा होटल/रिसॉर्ट का निर्माण एवं संचालन जन–निजी भागीदारी (पी.पी.पी) के माध्यम से आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (इनेबलिंग) संशोधन अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुरूप कराये जाने हेतु पूर्व में दिनांक – 19.08.2025 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद् संख्या– 09 के रूप में प्रदत्त सैद्धांतिक स्वीकृति में कतिपय संशोधन की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

वैशाली जिले के वैशाली में पर्यटन विभाग, बिहार, पटना द्वारा अधिग्रहित कुल 10 एकड़ की भूमि पर पर्यटकों की सुविधा हेतु आधुनिक सुविधायुक्त एवं गुणवत्तापूर्ण पाँच सितारा रिसॉर्ट का निर्माण जन–निजी भागीदारी (पी.पी.पी) के माध्यम से आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (इनेबलिंग) संशोधन अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुसार कराये जाने के प्रस्ताव पर दिनांक – 19.08.2025 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद् संख्या– 09 के रूप में सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. उपरोक्त स्वीकृत प्रस्ताव की कंडिका सं०– 05 (ख) में उल्लेखित प्रावधानों में कतिपय संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई है। तद्नुसार संशोधन निम्नरूपेण प्रस्तावित है–

(ख) वैशाली जिले में उपलब्ध 10 एकड़ की भूमि में से 05 एकड़ की भूमि पर एक पाँच सितारा होटल/रिसॉर्ट का निर्माण किया जा सकेगा।

उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(22)

प्रेस नोट

गया जिलान्तर्गत अंचल—नगर गया के मौजा—दुर्बे, थाना सं0— 177 के विभिन्न खाता एवं खेसरा का कुल रकबा—15 एकड़ अनावाद बिहार सरकार एवं अनावाद सर्वसाधारण भूमि खेल मैदान अवसंरचना निर्माण हेतु खेल विभाग, बिहार, पटना को स्थायी निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :—
नाम :— (दीपक कुमार सिंह)
पदनाम :— अपर मुख्य सचिव

(23)

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
प्रेस नोट

पटना जिलान्तर्गत फुलवारीशरीफ अंचल के मौजा—जगनपुरा, थाना सं0—26, खाता सं0—176, खेसरा सं0—1088 की कुल प्रस्तावित रकबा—0.0158 एकड़ कैसरे हिन्द भूमि, जो बिहार सरकार के दखल—कब्जे में है। उक्त भूमि पर जगनपुरा मेट्रो स्टेशन के निर्माण हेतु 30,00,000/— रू0 प्रति डी0 की दर से 47,40,000/— रू0 सलामी एवं सलामी का 05 प्रतिशत व्यवसायिक लगान अर्थात् 2,37,000/— रू0 का 25 गुणा अर्थात् 59,25,000/— रू0 पूँजीकृत मूल्य सहित कुल राशि—1,06,65,000/— (एक करोड़ छः लाख पैंसठ हजार) रूपये के भुगतान पर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :—
नाम :— (दीपक कुमार सिंह)
पदनाम :— अपर मुख्य सचिव

(24)

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

सारण जिलान्तर्गत अंचल–जलालपुर के मौजा–बंगरा, थाना सं0–151/2 के खाता सं0–107, खेसरा सं0–426, रकबा–11–04–5 (बीघा–कट्ठा–धुर) एवं खाता सं0–104, खेसरा सं0–427, रकबा–9–16–11 कुल प्रस्तावित रकबा–21 बीघा 16 धुर (15.5 एकड़) गैरमजरूआ मालिक परती कदीम शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के स्वामित्व की भूमि डेयरी प्रोजेक्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क स्थायी अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– (दीपक कुमार सिंह)
पदनाम :– अपर मुख्य सचिव

बिहार सरकार
राजस्व एवं सुधार विभाग

प्रेस नोट

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संचालित राजस्व महा–अभियान के सफल संचालन एवं सुगम क्रियान्वयन हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम–131 ज्ञ(त) एवं वित्त विभागीय संकल्प सं0–12888, दिनांक–03.12.2024 के प्रावधानों के आलोक में CSC, e-Governance Service India Limited, New Delhi को नामांकन के आधार पर गैर–परामर्शी सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु नामित किया जाता है।

सम्प्रति CSC द्वारा राजस्व संबंधी ऑनलाइन सेवाओं के तहत आवेदन किये जाने की सुविधा रैयतों/भू–धारियों को प्रदान की जा रही है। CSC के क्षेत्र की व्यापकता एवं कर्मियों की संख्या को देखते हुए इस अभियान के सफल आयोजन में इसकी सेवा ली जा रही है।

CSC, e-Governance Service India Limited, New Delhi के चयन के उपरान्त विभाग द्वारा संचालित राजस्व महा–अभियान के कार्य संचालन में गति आयेगी, जिसका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के आम नागरिकों एवं हितबद्ध रैयतों को प्राप्त होगा।

(दीपक कुमार सिंह),
अपर मुख्य सचिव।

(26)

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के परिपत्रांक 1876 दिनांक 19.10.2006

विभाग का नामः– खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना ।

प्रेस नोट

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत डीलर कमीशन मद में केन्द्रांश की राशि रू0 45/– प्रति क्विंटल एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद की राशि रू0 45/– प्रति क्विंटल अर्थात कुल रू0 90/– प्रति क्विंटल निर्धारित है। माह सितम्बर, 2025 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत डीलर कमीशन मद में रू0 90/– प्रति क्विंटल तथा राज्य योजना से अतिरिक्त डीलर कमीशन के रूप में रू0 47/–प्रति क्विंटल करने एवं इस प्रकार सभी मदों के साथ केन्द्रीय सहायता, राज्यांश एवं राज्य योजना मद, कुल दर 211.40 रूपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 258.40 रूपये प्रति क्विंटल करने के संबंध में।

लक्षित जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत खाद्यान्न के परिवहन एवं हथालन, उचित मात्रा में खाद्यान्न को पहुँचाने एवं खाद्यान्न के परिवहन में सुलभता होगी। साथ ही, जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय डीलर कमीशन में 47/– रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि करते हुए 137/– रूपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान होगा, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी।

हस्ताक्षरः–

नामः– पंकज कुमार

पदनामः– प्रधान सचिव